

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.13.2019/1822-44





दिनांक:- FEB 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के संदर्भ में; अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की दिनांक 21.11.2017 को जारी सूची में; नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी. रिट पिटिशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

आयोग द्वारा दिनांक 16.07.2018 को जारी की गई आरक्षित सूची में से कार्यग्रहण नहीं करने वाले (NJR) के विरुद्ध अधीनस्थ कार्यालय हेतु कुल 917 अभ्यर्थी पिक-अप किये गये। आरक्षित सूची में से नियुक्ति देने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. 16190/2018 योगेन्द्र कुमार कपूरिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के द्वारा यथास्थिति के रथगन आदेश पारित किये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुपालना में आरक्षित सूची में से इस विभाग को आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में नगर नियोजन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14,600/- प्रतिमाह एवम् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है :-

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	जन्म तिथि	फोटो	पदस्थापन स्थान
1.	187	912848	दुर्गा प्रसाद	गणपत लाल शर्मा	सामान्य, पुरुष	15.05.1991		कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर
2.	347	725463	मोहसिन खान	बाबू मोहम्मद खान	सामान्य, पुरुष	09.12.1987		कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
3.	383	609567	रवि गुप्ता	मोहनलाल गुप्ता	सामान्य, पुरुष	19.05.1989		कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
4.	661	366872	यतेन्द्र कुमार शर्मा	सतीश कुमार शर्मा	सामान्य, पुरुष	15.08.1992		कार्यालय उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर

E:\2019_ADM\Appt\Orders.doc

9


कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004

EPBX No. 2560838, 2560963

Office e-mail : ctp-rj@nic.in

Fax No. 0141-2563702, 2560985

Website : www.urban.rajasthan.gov.in/ctp

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	जन्म तिथि	फोटो	पदस्थापन स्थान
5.	953	896560	निलेश कुमार सोलंकी	वेणी राम सोलंकी	अन्य पिछड़ा वर्ग, पुरुष	24.10.1980		कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जौन, उदयपुर

- इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों तथा कार्मिक/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- परिवीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में किया जायेगा, एवम् उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- इस विभाग को आवंटित मुख्य/रिशफल परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता; मेरिट क्रम में आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों से ऊपर रहेगी।
- परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
- उपरोक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी; परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवम् राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
- अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व रुपये 50/- सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनायें एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
- सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

क्रमशः . . .

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004

EPBX No. 2560838, 2560963

Office e-mail : ctp-rj@nic.in

Fax No. 0141-2563702, 2560985

Website : www.urban.rajasthan.gov.in/ctp

12. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि; उनके पदस्थापन स्थान पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

AMSA 21/02/2019

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.13.2019/1822-44

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- **21 FEB 2019**

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु.3/2017 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, जेडएसपी, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर/कोटा जोन, कोटा।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री निलेश कुमार सोलंकी द्वारा नियमानुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
6. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
7. कोषाधिकारी, अजमेर/कोटा/उदयपुर/अलवर।
8. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, मुख्यालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित श्री
10. निजी पत्रावली संधारण लिपिक।
11. रक्षित पत्रावली।

सुभाष चन्द्र शर्मा
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

(सुभाष चन्द्र शर्मा)